Sl.No	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31/03/2019	31/12/2018	31/03/2019	31/03/2018
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations(net)	17849.80	19108.31	69260.06	75140.22
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(372.98)	1,377.83	2,019.28	4,930.56
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary Items)	(372.98)	1,377.83	2,019.28	4,930.56
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(655.10)	1,358.95	1,737.07	4,748.19
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)	(649.98)	1,360.69	1,730.05	4,506.58
6	Equity Share Capital	2,776.97	2,776.97	2,776.97	1,588.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	18,110.56	5,419.03
8	Earnings per equity share Basic : (in Rs) Diluted: (in Rs)	(1.18) (1.18)	2.82 2.82	3.12 3.12	17.28 9.88

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended Consolidated Audited Financial Results (as refered in note No.3 below) filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended Standalone & Consolidated Audited Financial Results are available on the BSE Limited website (URL:www.bseindia.com/corporates) and on the Company's website (URL:www.indsil.com/financial information)

2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee at their Meeting held on 24th May, 2019 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 24th May, 2019. The results for the quarter and year ended 31st March, 2019 and 31st March, 2018 have been audited by the Statutory Auditors of the Company.

3 The results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

4 The figures for the previous period/ year have been re-grouped /re-arranged wherever necessary to make them comparable with those of current period/ year.

5 The extract of the results of the Standalone Quarterly Audited Financial Results of the Company is as follows.

Particulars	Quarter ended 31/03/2019 (Audited)	Quarter ended 31/12/2018 (Unaudited)	Quarter ended 31/03/2018 (Audited)	Year ended 31/03/2019 (Audited)	Year ended 31/03/2018 (Audited)
Turnover	5,123.47	5,339.14	5803.88	22,643.31	30,409.18
Profit before tax	272.91	273.76	1178.53	325.24	1,359.12
Profit after tax	(2.16)	249.46	1279.05	45.65	1,182.51

The full format of the quarter and year ended Standalone Audited Financial Results are available on the BSE Limited website (URL:www.bseindia.com/corporates) and on the Company's website (URL: www.indsil.com)

For **INDSIL HYDRO POWER AND MANGANESE LTD**
-Sd-
VINOD NARSIMAN
Managing Director

Place : Coimbatore
Date : 24.05.2019

RACL Geartech Limited

Regd. Office: 15th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019 (India)
Tel No.: 011-66155129, Fax No.: 0120-4588513
Email: info@raclgeartech.com, Website : www.raclgeartech.com
CIN : L34300DL1983PLC016136

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(Rs. in lakhs except EPS)

Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Current Year ending/ Year to date	Previous Year ended
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
	(audited)	(audited)	(audited)	(audited)
Total income from operations	5463.04	4239.42	19096.43	14011.42
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	715.53	387.38	1734.13	864.38
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	715.53	387.38	1734.13	864.38
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	179.64	451.88	977.24	786.84
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	145.63	387.17	943.23	722.13
Equity Share Capital	1028.16	993.16	1028.16	993.16
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	5618.59	4474.11
Earnings Per Share (Face value Rs. 10/- each) (For continuing and discontinued operations) Basic and diluted	1.44	3.90	9.34	7.27

NOTES:

1 The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended on 31st March, 2019 filed with the stock exchange i.e. BSE Limited under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Standalone quarterly and yearly audited financial results are available on Company's Website i.e. www.raclgeartech.com and on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

2 Financial Annual adjustment due to current tax & deffered tax, Employees benefits, Capitalisation of finance cost for loans availed, Restatement of debtors etc. has been carried out and its impact has been reflected in quarter ending 31st March, 2019.

3. Previous period / year figures have been regrouped / reclassified wherever necessary, to make them comparable.

4. The figures of the last quarters are the balancing figures of audited figures in respect of the full financial year up to March 31, 2019 / March 31, 2018 and the unaudited published year –to-date figures up to December 31, 2018/ December 31, 2017 being the date of the end of the third quarter of the financial year.

5. The detailed financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective meetings held on 24th May, 2019 and The statutory auditors of the company have carried out an audit on the financial results for the quarter and year ended 31st March, 2019.

For and on behalf of Board of Directors
RACL Geartech Limited
Sd/-
Gursharan Singh
Chairman & Managing Director

Place: Noida
Date : May 24, 2019

दोषी को सजा के तौर पर सिख धर्म के अध्ययन का आदेश

सलेम (अमेरिका), 25 मई (एपी)।

अमेरिकी न्यायाधीश ने ओरेगन के एक व्यक्ति को यहां सिख समुदाय के एक व्यक्ति पर हमला करने के जुर्म में सजा के तौर पर सिख धर्म का अध्ययन करने और उस पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

अमेरिका में सिख नागरिक अधिकारों के सबसे बड़े संगठन 'द सिख कोलिशन' ने एक बयान जारी करके बताया कि दोषी एंड्र्यू रामसे ने 14 जनवरी को हरविंदर सिंह डोड को धमकाने और उन पर हमला करने का जुर्म कबूल किया। बयान में कहा गया कि धमकाने के आरोप को घृणा अपराध के तौर पर देखा जाता है।

गवाहों के अनुसार डोड ने बिना पहचानपत्र दिखाए रामसे को सिगरेट बेचने से मना कर दिया था। इसके बाद रामसे ने डोड की दाढ़ी खींची, उन्हें मुक्का मारा और जमीन पर गिरा दिया। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस आने तक रामसे को पकड़ कर रखा।

डोड भारत से अमेरिका आए हैं और यहां उनकी एक दुकान है। उन्होंने अदालत को दिए एक लिखित बयान में कहा कि अमेरिका में घृणा अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं।

> डोड भारत से अमेरिका आए हैं और यहां उनकी एक दुकान है। उन्होंने अदालत को दिए एक लिखित बयान में कहा कि अमेरिका में घृणा अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं।
> एफबीआइ का भी कहना है कि ओरेगन में 2016 की तुलना में 2017 में घृणा अपराध 40 फीसद तक बढ़ गए हैं।

एफबीआइ का भी कहना है कि ओरेगन में 2016 की तुलना में 2017 में घृणा अपराध 40 फीसद तक बढ़ गए हैं।

डोड ने कहा, 'उसने मुझे इंसान नहीं समझा। उसने मुझे इस लिए मारा कि मैं कैसा दिख रहा हूं। मेरी पगड़ी और दाढ़ी के लिए मारा–ये मेरी धार्मिक आस्था से जुड़ी चीजें हैं।' पुलिस ने कहा कि रामसे ने डोड पर जूता भी फेंका और उनकी पगड़ी छीन ली।

'द स्टेट्समेन जर्नल' ने अपनी एक खबर में कहा कि मारिऑन काउंटी के जज लिंडसे पाट्रिड्ज ने रामसे को समेल में जून में सालाना सिख परेड में शामिल होने के आदेश दिया साथ ही कहा कि वह अदालत को बताए की उसने सिख समुदाय और उनकी संस्कृति के बारे में क्या जाना।

न्यायाधीश ने कहा, 'कट्टरता अज्ञानता का परिणाम है। हम सब अपने समुदाय की संस्कृतियों से सीखने और लाभान्वित होने की क्षमता रखते हैं।' समाचार पत्र ने कहा कि न्यायाधीश ने रामसे को तीन साल की निगरानी और 180 दिन की कैद की सजा सुनाई है। इसमें अब तक की जेल अवधि को भी शामिल किया गया है।

दक्षिण अफ्रीका की संसद ने रामफोसा को राष्ट्रपति चुना

जोहानिसबर्ग, 25 मई (भाषा)। दक्षिण अफ्रीका की संसद ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख सीरिल रामफोसा को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति चुन लिया है। संसद ने छठे आम चुनावों के बाद हुई अपनी पहली बैठक में यह निर्णय किया। श्रमिक संगठन के पूर्व नेता रामाफोसा (66) ने देश पर दशकों तक शासन करने वाले एवं रंगभेद करने वाले श्वेत अल्पसंख्यकों की सरकार के साथ वार्ता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

श्रीलंका में संदिग्ध आतंकियों के बैंक खातों पर रोक

कोलंबो, 25 मई (भाषा)।

श्रीलंका में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) के साथ संबंध रखने वाले 41 संदिग्ध आतंकवादियों के बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। देश में ईस्टर के मौके पर हुए सिलसिलेवार हमलों में इसी संगठन का हाथ था। मीडिया में आई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। पुलिस प्रवक्ता रुवन गुणशेखर ने बताया कि संदिग्ध फिलहाल आतंकवाद जांच विभाग (टीआइडी) और अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की हिरासत में हैं।

ईस्टर के मौके पर नौ आत्मघाती हमलावरों ने देश को हिला कर रख दिया था। इन आतंकवादी हमलों में 258 लोग मारे गए थे और 500 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

टाइम्स ऑनलाइन ने शुक्रवार को अपनी खबर में गुणशेखर के हवाले से बताया कि इन संदिग्धों के खातों में कुल 13 करोड़ 40 लाख रुपए हैं। यह राशि गिरफ्तारी के वक्त इनके पास से जब्त किए गए एक करोड़ 40 लाख रुपए से अलग है।

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LTD.
CIN NO.L51909DL1933PLC009509
Regd. Office : 4-A, Hansalaya, 15, Barakhamba Road New Delhi 110 001
Phone no.011-23316409, 23310414 Fax No. 011-23322473
Email: udsm_shamli@sirshadilal.com : website www.sirshadilal.com

Abstract of Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2019

(Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
Total Income from Operations	11677.78	9872.45	8236.80	37360.47	39987.79
Net Profit(+)/Loss(-) for the period[before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items]	(+)779.08	(-)2712.10	(-)1720.48	(-)3501.60	(-)2384.97
Net Profit(+)/Loss(-) for the period before tax [after Exceptional and/ or Extraordinary items]	(+)779.08	(-)2712.10	(-)1720.48	(-)3501.60	(-)2384.97
Net Profit(+)/Loss(-) for the period after tax [after Exceptional and/ or Extraordinary items]	(+)779.08	(-)2712.10	(-)1720.48	(-)3501.60	(-)2384.97
Total Comprehensive income for the period {Comprising Profit/Loss for the period(after tax) and other comprehensive income for the period (after tax)	(+)825.18	(-)2823.13	(-)1999.52	(-)3488.82	(-)2744.37
Paid-up Equity Share Capital	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
Earning per share (not annualized of Rs. 10/-) Basic and Diluted	+14.840	-51.659	-32.771	-66.697	-45.428

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.The full format of the Audited Financial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.sirshadilal.com
2. The financial results for the quarter and Year ended 31st March, 2019 are in compliance with Indian Accounting Standards (IND-AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs. Consequently, the financial results for the corresponding quarter and year ended ended 31st March,2018 have been restated to comply with IND-AS to make them comparable.
3. The Audited financial statement for the quarter & year ended 31st March, 2019 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 25h May, 2019.

for Sir Shadi Lal Enterprises Ltd.
Sd/-
(Rajat Lal)
Managing Director

Place : New Delhi
Dated : 25th May, 2019

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय शाखा, नई दिल्ली – 110001
फोन : 011–23441533 / 1504

शुद्धि–पत्र

यह शुद्धि–पत्र 16.05.2019 को जनसत्ता समाचार पत्र में छपे नीलामी सूचना के संदर्भ मे है। जिसमें सम्पत्ति सं. 2 मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि. प्लॉट नं. 8, ब्लॉक–205ए, फायर ब्रिगेड लेन, अब 20 फायर ब्रिगेड लेन के रूप में ज्ञात, नई दिल्ली–110001 स्थित कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, परिमाप 1012 वर्ग गज छपा है जो कि गलत है, कृपया सम्पत्ति का विवरण प्लॉट नं. 8, ब्लॉक–205ए, फायर ब्रिगेड लेन, अब 14 फायर ब्रिगेड लेन के रूप में ज्ञात, नई दिल्ली–110001 स्थित कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, परिमाप 1012 वर्ग गज पढ़े। बाकि नियम व शर्ते यथावत रहेंगी।

स्थान : दिल्ली
तिथि : 25–05–2019

प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-I
12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली–110001, ई–मेल sbi.04109@sbi.co.in

नियम–8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत कब्जा सूचना**

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक, 12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ,** नई दिल्ली–110001 का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 की अधिसूचना 54) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **मैसर्स लेमन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (कर्जदार), श्री कपिल चुग पुत्र श्री दीना नाथ चुघ (निर्देशक), श्री योगेश चुघ पुत्र श्री दीना नाथ चुघ (निदेशक) और मैसर्स फिल्पोक्राफ्ट एलएलपी (कॉर्पोरेट गारंटर)** को एक मांग नोटिस दिनांक **28.02.2019** को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि **रू 41,18,46,622.74 (रु. इक्तालीस करोड अट्ठारह लाख छियालीस हजार छः सौ बाईस और पैसे चौहत्तर मात्र) दिनांक 27.02.2019 तक उपरोक्तानुसार राशि पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे और लागत इत्यादि सहित** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार / गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **21.05.2019** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक, 12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ,** नई दिल्ली–110001 **के प्रभार वास्ते राशि रू 41,18,46,622.74** (रु. इक्तालीस करोड अट्ठारह लाख छियालीस हजार छः सौ बाईस और पैसे चौहत्तर मात्र) दिनांक 27.02.2019 तक साथ में लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदार(रो) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

चल / अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति पर मालिकाना हक : मैसर्स फिल्को क्राफ्ट एलएलपी

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 177.82 वर्ग मी. अर्थात 212.67 वर्ग गज, छत के अधिकार सहित, प्लॉट नं. 4 का शेष भाग, ब्लॉक–बी, भूमि क्षेत्रफल 425.1 / 3 वर्ग गज, रैक्ट. नं. 9, किला नं. 3 / 2 और 4, आबादी जिसे अब कॉलोनी शंकर गार्डन कहते है, नज़फगढ़ रोड, गाँव पोसांगीपुर के रेवेन्यू ईस्टेट दिल्ली में स्थित, म्युनिसीपल कॉरपोरेशन दिल्ली के लिमिट के अंतर्गत, पंजीकरण सेल डीड दिनांकित 30.10.10 के अनुसार, सब–रजिस्ट्रार – II, जनकपुरी, दिल्ली में पंजीकृत, दस्तावेज नं. 28386 और चौहद्दी : पूरब में – मकान नं. बी–5, पश्चिम में – मकान नं. बी–4 का शेष भाग, उत्तर में – 15फीट सर्विस लेन, दक्षिण में – मेन नजफगढ़ रोड के पीछे खुली जगह

दिनांक : 21-05-2019, स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-I
12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली–110001, ई–मेल sbi.04109@sbi.co.in

नियम–8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत कब्जा सूचना**

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक, 12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ,** नई दिल्ली–110001 का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 की अधिसूचना 54) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **मैसर्स विक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेशंस प्रा. लि. (कर्जदार), श्री कपिल चुघ पुत्र श्री दीना नाथ चुघ (निर्देशक), श्री योगेश चुघ पुत्र श्री दीना नाथ चुघ (निर्देशक), सुश्री रचना सेठी (गारंटर), सुश्री प्रियंका चुघ पत्नी श्री कपिल चुघ (गारंटर) और मैसर्स मंगलम इंफ्राबिल्ड एलएलपी (कॉर्पोरेट गारंटर)** को एक मांग नोटिस दिनांक 02.03.2019 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि **रू 17,43,41,176.72 (रु. सत्रह करोड तैतालीस लाख इक्तालीस हजार एक सौ छिहत्तर और पैसे बहत्तर मात्र) दिनांक 01.03. 2019 तक उपरोक्तानुसार राशि पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे और लागत इत्यादि सहित** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार / गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **21.05.2019** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक, 12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ,** नई दिल्ली–110001 **के प्रभार वास्ते राशि रू 17,43,41,176.72** (रु. सत्रह करोड तैतालीस लाख इक्तालीस हजार एक सौ छिहत्तर और पैसे बहत्तर मात्र) दिनांक 01.03.2019 तक साथ में लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदार(रो) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

चल / अचल संपत्ति का विवरण

(1) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्रीमती प्रियंका चुघ
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 355, सैक्टर–21डी, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित,
(2) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्रीमती रचना सेठी
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान पं. 676, सैक्टर–46, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित
(3) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्रीमती प्रियंका चुघ
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. बी–254 ओमैक्स एनआरआई सिटी ओमेगा– II, ग्रेटर नोएडा, यू.पी. में स्थित
(4) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : मैसर्स मंगलम इन्फराबिल्ड एलएलपी
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी प्लॉट नं. बी–बी37 / 25, ब्लॉक नं. बी, टीडीआई सिटी, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा
(5) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : मैसर्स मंगलम इन्फराबिल्ड एलएलपी
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी प्लॉट नं. बी–बी37 / 26, ब्लॉक नं. बी, टीडीआई सिटी, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा
(6) सम्पत्ति पर मालिकाना हक श्री योगेश चुघ और श्रीमती प्रिया गांधी चुघ
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. सी–302, तृतीय तल, स्टेट्स एन्क्लेव, कालिंदी हिल्स, अचीवर्स बिल्डिंग सैक्टर–49, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित

दिनांक : 21-05-2019,
स्थान : फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत

प्राधिकृत अधिकारी,
भारतीय स्टेट बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ (A govt. of India Undertaking) पी.एस.बी.
PUNJAB & SIND BANK

नियम [8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिये)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे तालिका में वर्णित तिथि को धारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर बैंक ने नीचे वर्णित ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज, लागत तथा अन्य चार्जेज के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

शाखा का नाम एवं	ऋणधारक(कों)/ गारन्टर(रों) का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	कब्जा सूचना तिथि	मांग सूचना 13(2) के अनुसार
बलराम नगर, लोनी गाजियाबाद, उ.प्र.– 201102	1. श्री जोगिन्द्र सिंह, पुत्र श्री महिपाल सिंह एवं श्रीमती शीता सिंह, पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह, दोनों निवासीः एफएफ–4, 1ला तल, प्लॉट नं. 56, खसरा नं. 67, आकाशवाणी कॉलोनी, ग्राम सैदुल्लाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.– का सभी भाग तथा हिस्सा। ऋणधारकों 3. श्री सुमित कुमार, पुत्र श्री जय सिंह, निवासीः एसएफ–4, प्लॉट नं. 56, आकाशवानी कॉलोनी, ग्राम सैदुल्लाबाद, उ.प्र.– (गारन्टर)	एफएफ–4, 1ला तल, प्लॉट नं. 56, खसरा नं. 67, आकाशवाणी कॉलोनी, ग्राम सैदुल्लाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.– का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 57 पश्चिमः 30 फीट चौड़ी सड़क उत्तरः अन्य सम्पत्ति दक्षिणः सड़क	4.12.2018	20.5.2019	रु. 9,53,390/– जिसमें 31.11.2018 तक ब्याज शामिल हैं तथा 1.12.2018 से लागू दर पर आगे का ब्याज, लागत, खर्चे तथा उस पर अन्य चार्जेज आदि।
बलराम नगर, लोनी गाजियाबाद, उ.प्र.– 201102	श्री नरेश चन्द, पुत्र श्री राम किशन, श्रीमती रेखा, पत्नी श्री नरेश चन्द, दोनोंः फ्लैट नं. एसएफ–3, एलआईजी, 2रा तल, प्लॉट नं. 130, खसरा नं. 279, आकाशवानी कॉलोनी, ग्राम सैदुल्लाबाद, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. ऋणधारक 3) श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासीः एच. नं. 579, ग्राम साहापुर, बमहेटा, गाजियाबाद, उ.प्र. (गारन्टर)	फ्लैट नं. एसएफ–3, एलआईजी, 2रा तल, प्लॉट नं. 130, खसरा नं. 279, आकाशवानी कॉलोनी, ग्राम सैदुल्लाबाद, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः 35 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति उत्तरः प्लॉट नं. 129, दक्षिणः प्लॉट नं. 131	4.12.2018	20.5.2019	रु. 11,07,642/– जिसमें 31.11.2018 तक ब्याज शामिल हैं तथा 1.12.2018 से लागू दर पर आगे का ब्याज, लागत, खर्चे तथा उस पर अन्य चार्जेज आदि।
बलराम नगर, लोनी गाजियाबाद, उ.प्र.– 201102	श्री विरेश कुमार, श्रीमती आरती यादव, पत्नी श्री विरेश कुमार (ऋणधारक) दोनों निवासीः 3/1253, वसुन्धरा, गाजियाबाद उ.प्र. ---ऋणधारकों 3) श्री मुकेश कुमार, पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासीः 3/1253, वसुन्धरा, गाजियाबाद उ.प्र.---गारन्टर साथ हीः श्री विरेश कुमार निवासीः दूसरा तल, प्लॉट नं. 1/872, सेक्टर–1, वसुन्धरा योजना,	दूसरा तल, प्लॉट नं. 1/872, सेक्टर–1, वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद, उ.प्र. का सभी भाग तथा हिस्साः सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 1/872 पश्चिमः प्लॉट नं. 1/871 उत्तरः 6 मी. चौड़ी सड़क दक्षिणः प्लॉट नं. 1/908	9.10.2017	20.5.2019	रु. 2096426.02/– जिसमें 30.09.2017 तक ब्याज शामिल है तथा 1.10.2017 से लागू दर पर आगे का ब्याज, लागत, खर्चे तथा उस पर अन्य चार्जेज आदि।
बलराम नगर, लोनी गाजियाबाद, उ.प्र.– 201102	1. श्री यशपाल, पुत्र श्री हरदेव सिंह, 2. श्रीमती गीता, पत्नी श्री यशपाल, दोनों निवासीः फ्लैट नं. यूजी–4 ऊपरी भू तल, प्लॉट नं. ए–81, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन, भोपुरा, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. (ऋणधारकों) 3. श्री सुनील कुमार, पुत्र श्री नरदेव सिंह, निवासीः एच. न. 877, आर.के.पुरम, सेक्टर–04, नई दिल्ली–110022 गारन्टर	फ्लैट नं. यूजी–4 ऊपरी भू तल, प्लॉट नं. ए–81, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन, भोपुरा, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः रोड पश्चिमः प्लॉट नं. ए–90 उत्तरः प्लॉट नं. ए–80 दक्षिणः प्लॉट नं. ए–82	1.3.2019	20.5.2019	रु. 1466280/– जिसमें 28.02.2019 तक ब्याज शामिल है तथा 1.03.2019 से लागू दर पर आगे का ब्याज, लागत एवं उस पर अन्य चार्जेज आदि।
बलराम नगर, लोनी गाजियाबाद, उ.प्र.– 201102	श्रीमती मंजू पहूजा, पत्नी स्व. श्री देवेन्दर पहूजा, निवासीः एच. नं. सी–6/245, यमुना विहार, दिल्ली–110093 –ऋणधारक 2. श्री कपिल बंसल, पुत्र श्री रघुवर दयाल, निवासीः प्लॉट नं. ए–180, मैन चान्द विहार, मंडावली, दिल्ली–110092 –गारन्टर श्रीमती मंजू पहूजा, पत्नी स्व. श्री देवेन्दर पहूजा, निवासीः प्लॉट नं. 195, ब्लॉक–बी, सेक्टर सिग्मा–3, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर, उ.प्र. –ऋणधारक	प्लॉट नं. 195, ब्लॉक–बी, सेक्टर सिग्मा–3, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर, उ.प्र. का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तर पश्चिमः प्लॉट नं. 196 दक्षिण पूर्वः प्लॉट नं. 194 उत्तर पूर्वः ग्रीन बेल्ट दक्षिण पश्चिमः 12 मी. चौड़ी सड़क	7.12.2018	20.5.2019	रु. 4,26,152/– जिसमें 30.11.2018 तक ब्याज शामिल हैं तथा 1.12.2018 से लागू दर आगे का ब्याज, लागत एवं उस पर अन्य चार्जेज आदि
बलराम नगर, लोनी गाजियाबाद, उ.प्र.– 201102	श्रीमती मंजू पहूजा, पत्नी श्री देवेन्दर पहूजा, निवासीः प्लॉट नं. एच–11, यूपीएसआईडीसी, साइट–4, सूरजपुर, गौतम बुध नगर, जी. नोएडा, उ.प्र. –ऋणधारक 2. श्री कपिल बंसल, पुत्र श्री रघुवर दयाल, निवासीः प्लॉट नं. ए–180, मैन चान्द विहार, मंडावली, दिल्ली–110092 –गारन्टर साथ हीः श्रीमती मंजू पहूजा, पत्नी श्री देवेन्दर पहूजा, यू–642, जलवायु विहार, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, उ.प्र., ऋणधारक	प्लॉट नं. एच–11, यूपीएसआईडीसी, साइट–4, सूरजपुर, गौतम बुध नगर, जी. नोएडा, उ.प्र.का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. एच–12, पश्चिमः प्लॉट नं. एच–10 उत्तरः 18 मी. रोड दक्षिणः प्लॉट	7.12.2018	20.5.2019	रु. 13,03,994.50 जिसमें 30.11.2018 तक ब्याज शामिल हैं तथा 1.12.2018 से लागू दर आगे का ब्याज, लागत एवं उस पर अन्य चार्जेज आदि
जीटी रोड, पसोण्डा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.– 201005	श्री शरीफ युसुफ, पुत्र श्री अब्दुल रहमान एवं श्रीमती सहाना, पत्नी श्री शरीफ युसुफ दोनों निवासीः 45–सी/12, डीडीए स्लम, जनता फ्लैट्स, ब्लॉक–12, सराय काले खान, निजामुद्दीन, दिल्ली–110015– ऋणधारक। साथ हीः श्री शरीफ युसुफ, पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासीः फ्लैट नं. एफ–1, प्रथम तल, कैटगरी एमआईजी, प्लॉट नं. ए–1/89, डीएलएफ दिलशाद एक्स्टेंशन–II, भोपुरा, गाजियाबाद–201005– ऋणधारक श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, पुत्र स्री शिव गणेश मिश्रा, निवासीः ए–40/1, नागली राजापुर, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली–110015– गारन्टर	फ्लैट नं. एफ–1, प्रथम तल, कैटगरी एमआईजी, प्लॉट नं. ए–1/89, डीएलएफ दिलशाद एक्स्टेंशन–II, भोपुरा, गाजियाबाद–201005 का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. ए–1/88 पश्चिमः प्लॉट नं. ए–1/90 उत्तरः 30 फीट चौड़ी सड़क दक्षिणः प्लॉट नं. ए–1/102	17.4.2017	21.5.2019	रु. 19,52,379.28 जिसमें 31.3.2017 तक ब्याज शामिल हैं तथा 1.4.2017 से लागू दर आगे का ब्याज, लागत एवं उस पर अन्य चार्जेज आदि।

तिथिः 26.5.2019,

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी

RACL Geartech **RAUNAQ GEARS**

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 15वाँ तल, ईरोस कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019, (भारत)
टेली.: 011–66155129, फैक्स नं. +91–120–4588513
ई–मेलः info@raclgeartech.com/ वेबसाईटः www.raclgeartech.com,
CIN: L34300DL1983PLC016136

31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए स्टैण्डएलॉन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

ईपीएस को छोड़कर (रु. लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.3.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.3.2018 (अंकेक्षित)	समाप्त चालू वर्ष/ तिथि तक वर्ष 31.3.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त पूर्व वर्ष 31.3.2018 (अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	5463.04	4239.42	19096.43	14011.42
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	715.53	387.38	1734.13	864.38
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	715.53	387.38	1734.13	864.38
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	179.64	451.88	977.24	786.84
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	145.63	387.17	943.23	722.13
इक्विटी शेयर पूंजी	1028.16	993.16	1028.16	993.16
आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	–	–	5618.59	4474.11
आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) मूल तथा तरल	1.44	3.90	9.34	7.27

टिप्पणी:

1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 तथा सेबी सर्क्युलर CIR/CFD/FAC/62/2016 तिथि 05 जुलाई, 2016 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। स्टैण्डएलॉन तिमाही तथा वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट **www.raclgeartech.com** तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है।
2. चालू कर एवं आस्थगित कर, कर्मचारी लाभों, प्राप्त की गई ऋणों के लिये वित्तीय लागत के पूंजीकरण, डेब्टर्स के रीस्टेटमेन्ट के कारण वित्तीय वार्षिक समायोजन किया गया है तथा उसके प्रभाव को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली तिमाही में परावर्तित किया गया है।
3. उसे तुलनीय बनाने के लिये जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि/ वर्ष के आंकड़े पुनर्समूहीकृत/ पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।
4. अंतिम तिमाही के आंकड़े 31 मार्च, 2019/ 31 मार्च, 2018 तक सम्पूर्ण वित्त वर्ष तथा 31 दिसंबर 2018 / 31 दिसंबर, 2017 जो वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की समाप्ति की तिथि है, तक अनंकेक्षित प्रकाशित तिथि तक वर्ष के आंकड़े के संदर्भ में अंकेक्षित आंकड़ों के बीच संतुलक आंकड़े हैं।
5. विस्तृत वित्तीय परिणामों तथा इस सारांश की 24 मई, 2019 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश की गई तथा कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए तथा कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों की ऑडिट की है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड
हस्ता./–
गुरशरण सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थानः नोएडा
तिथिः 24 मई, 2019

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड

पंजी. कार्याः टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली–110091
टेली.: 0120–2516495, फैक्सः 0120–2516440
CIN. No: L45101DL1996PLC315772; ईमेलः ntbcl@ntbcl.com,
वेबसाईटः www.ntbcl.com

31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष का अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

(प्रति शेयर डैटा को छोड़कर रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैंडएलॉन					समेकित	
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		31.3.2019	31.12.2018	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018
		अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	582.02	535.71	588.05	2074.83	1751.65	2068.36	1768.47
2.	कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(1266.15)	(1371.50)	(1298.61)	(5598.79)	(5723.28)	(5592.75)	(5734.63)
3.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	(1337.23)	(649.65)	(1309.06)	(3592.97)	(5776.00)	(3586.93)	(5787.35)
4.	कुल व्यापक आय	(1341.91)	(649.21)	(1308.78)	(3596.33)	(5778.71)	(3593.77)	(5784.93)
5.	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/–)	18619.50	18619.50	18619.50	18619.50	18619.50	18619.50	18619.50
6.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त)							
7.	आय प्रति शेयर मूल	(0.72)	(0.35)	(0.70)	(1.93)	(3.10)	(1.93)	(3.11)
	तरल	(0.72)	(0.35)	(0.70)	(1.93)	(3.10)	(1.93)	(3.11)

टिप्पणी:

1. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 24 मई, 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये।
2. 1 अप्रैल, 2018 से कम्पनी ने संचयी कैच–अप पद्धति जो ऐसे सभी अनुबंधों के लिये लागू है जो 1 अप्रैल, 2018 को पूरा नहीं हुए, का चयन कर इंड एएस 115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व)अपनाई है। तदनुसार तुलनात्मक विवरणों को रेट्रोस्पेक्टिव रूप से समायोजित नहीं किया गया है। इंड एएस–115 को अपनाने का प्रभाव वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण नहीं था।
3. जनहित लिटिगेशन (रियायत अनुबंध की वैधता को चुनौती देने तथा रियायत अनुबंध को रद्द कराने के लिये) पर अपने फैसले तिथि 26 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कम्पनी को शुल्क की लेवी तथा संग्रहण से संबंधित दो विशिष्ट प्रावधानों को गैर–प्रचालनात्मक ठहराते हुए उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण पर रोक लगाने का निर्देश दिया था लेकिन रियायत अनुबंध को निरस्त करने से इंकार कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप नोएडा ब्रिज के उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण 26 अक्टूबर, 2016 से निलम्बित रहा है जिसके लिये उक्त फैसले पर अंतरिम स्थगन लगाने के लिये भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दाख़िल किया गया है। 11 नवम्बर, 2016 को अपने अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन से इंकार कर दिया लेकिन, यह पता लगाने के लिये सीएजी की सहायता मांगी कि क्या रियायत अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना की कुल लागत कम्पनी द्वारा वसूल कर ली गयी है या नहीं। सीएजी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दिया है। जिस पर 14 सितम्बर, 2018 को अपनी सुनवाई में निर्देश दिया गया है कि सीएजी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में रखी जाये यह एसएलपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम फैसले के लिये अभी भी लम्बित है। कंपनी ने नोएडा को भी अधिसूचित कर दिया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के साथ पठित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रियायत अनुबंध के अंतर्गत 'कानून में परिवर्तन' का गठन करता है तथा रियायत अनुबंध के सुधार के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव जमा किया ताकि उसे उसी रूप में विधिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक हैसियत में स्थापित किया जाये जो कानून के उक्त परिवर्तन से पूर्व में था। पुनः कम्पनी ने नोएडा के पास विवाचन की एक सूचना भेजी है क्योंकि नोएडा ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया है।
   विवाचन अधिकरण का गठन कर लिया गया है तथा कंपनी एवं नोएडा दोनों ने अपने दावे तथा प्रति दावे जमा किये हैं। फिर, नोएडा ने विवाचन कार्यवाही की मैन्टनैबिलिटी पर धारा 16 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया है जिसे आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 द्वारा विवाचन अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया।
   विवाचन अधिकरण के आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 को चुनौती देने के लिये नोएडा ने आर्बीट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1961 की धारा 34 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया था जिस पर नोएडा को कोई राहत दिये बिना 31 जनवरी, 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा कर दिया गया। विवाचन कार्यवाही पर स्थगन लगाने के लिये नोएडा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी निर्देशों के लिये एक आवेदन दाखिल किया है। 12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाचन कार्यवाही पर स्थगन का निर्देश दिया।
   विधिक अभिमत तथा रियायत अनुबंध (क्षतिपूर्ति तथा अन्य उपचारों से संबंधित) के प्रावधानों पर बोर्ड के विश्वास के आधार पर कम्पनी आश्वस्थ है कि अप्रत्यक्ष तथा अन्य परिसम्पत्तियों का अंडरलाइंग वैल्यू वाधित नहीं होगा।
   यह कम्पनी परियोजना की परिसम्पत्तियों के रखरखाव सहित रियायत अनुबंधों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा कर रही है।
4. कंपनी ने 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से एक आदेश प्राप्त किया तथा सीआईटी (ए) के आदेश के अनुपालन में एओ ने सीआईटी (ए) के अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने के लिये ए वाई ज 2006–07 से 2014–15 के संदर्भ में परिणामी आदेशों को भी पारित किया तथा करों की मांग में रु. 10,893.30 करोड़ की वृद्धि कर दी। मांग में इस वृद्धि का प्राथमिक कारण भूमि का मूल्यांकन था। कम्पनी ने आय कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दाखिल किया। आईटीएटी द्वारा 19 दिसम्बर, 2018, 2 जनवरी, 2019 तथा 6 फरवरी, 2019 को अंतिम सुनवाई की तथा एनसीएएलटी के आदेश तिथि 15 अक्टूबर, 2018 के आधार पर आईटीएटी ने यथा स्थिति रखने के निर्देश के साथ एनटीबीसीएल सहित उसके ग्रुप की कम्पनियों के साथ–साथ आईएल एंड एफएस के विरुद्ध सभी क्रेडीटरों की कार्रवाई पर मोरेटोरियम की स्वीकृति देते हुए मामले को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया।
   नवम्बर, 2018 के दौरान सीआईटी (ए), नोएडा ने ए.वाई. 2006–7 से 2014–15 के लिये दंड आदेश पारित किया तथा उसके आधार पर गणना अधिकारी, दिल्ली ने दिसम्बर, 2018 के दौरान रु. 10,893.30 करोड़ की राशि का दंड लगाया। कम्पनी ने 11 जनवरी, 2019 को स्थगन आवेदन के साथ आईटीएटी में एक अपील दाखिल की है। 29 मार्च, 2019 तथा 3 मई, 2019 को आईटीएटी द्वारा मामले की सुनवाई की गई। यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश के साथ आईटीएटी ने अनिश्चितकाल के लिये इस मामले पर रोक लगा दी।
5. क) कंपनी ने मई, 2018 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से प्रतिभूत सावधि ऋण (''सुविधा'') के लिए मासिक ब्याज तथा तिमाही पुनर्भुगतान का भुगतान नहीं किया है। 31 मार्च, 2019 तक कुल बकाया राशि रु. 50 करोड़ अर्थात् ब्याज के लिए रु. 5 करोड़ तथा मूलधन पुनर्भुगतान के लिए शेष राशि रु. 45 करोड़ है। कंपनी ने लोन रिकॉल तथा सुविधा के एक्सीलरेशन की सूचना के लिए सूचना तिथि 27 सितंबर, 2018 सहित आईसीआईसीआई बैंक से कई सूचनाएं प्राप्त की हैं।
   ख) 31 मार्च, 2019 को आईएल एंड एफएस ट्रान्स्पोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड से कुल अप्रतिभूत संक्षिप्त कालिक ऋण रु. 17.80 करोड़ है जिसमें 6.50 करोड़ के कुल ऋणों को आगे एक वर्ष की अवधि के अग्रसारित किया गया है तथा रु. 11.29 करोड़ के शेष ऋण को अग्रसारित नहीं किया गया है। कम्पनी ने 30 सितम्बर, 2018 तक रु. 1.14 करोड़ ब्याज के रूप में उपलब्ध कराई है तथा उसके बाद उपचयित ब्याज पर कोई प्रावधान नहीं किया है।
   ग) पुनः भारत संघ (कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के माध्यम से कार्यरत) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेस (आईएल एंड एफएस) द्वारा दाखिल एक अपील में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) ने 15 अक्तूबर, 2018 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें नोएडा टोल ब्रिज क. लिमिटेड सहित आईएल एंड एफएस के साथ ही साथ उसके ग्रुप की कंपनियों के विरुद्ध सभी क्रेडीटर की कार्रवाई पर एक मोरैटोरियम की स्वीकृति दी है।
6. 28 सितंबर, 2018 को नोएडा द्वारा कम्पनी को मांग का एक रिट सर्व किया गया क्योंकि डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा साइड में विज्ञापन से राजस्व के संदर्भ में कंपनी से रु. 3.69 करोड़ की मांग उठाई गई। कंपनी ने नोएडा से मांग के इस रिट को आस्थगित रखने का अनुरोध किया क्योंकि नोएडा द्वारा इस मामले को विवाचन में दिया गया है तथा एनसीएलएटी आदेश तिथि 15 अक्तूबर, 2018 को देखते हुए स्वीकृत मोरैटोरियम के कारण कम्पनी के विरुद्ध आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
   दिसम्बर, 2018 तथा अप्रैल, 2019 के दौरान कम्पनी ने लाइसैंस शुल्क के एरिअर के लिये रु. 2.34 करोड़ तथा 2.42 करोड़ की अतिरिक्त मांग प्राप्त की। कम्पनी ने नोएडा से इस मांग को आस्थगित रखने का अनुरोध किया है, क्योंकि इस मामले को नोएडा द्वारा आर्बीट्रेशन में भेजा गया है।
7. कंपनी के पास एक ही व्यवसाय खंड है तथा इसलिए खंड–वार जानकारी का विवरण लागू नहीं है।
8. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनर्समूहीकृत/ पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।
9. उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटों क्रमशः www.ntbcl.com, www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

संलग्न समान तिथि के हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के आदेश से
नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड के लिए
अजय माथुर
प्रबंध निदेशक

स्थानः नोएडा, उप्र.
तिथिः 24 मई, 2019